रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249326 CG-DL-E-11102023-249326

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4252]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945

No. 4252]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2023

सं. 35/2023

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत शामिल सिल्वर के आयात की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4423(अ).—समय —समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के एचएस कोड 71069110 और 71069290 के अंतर्गत सिल्वर के आयात की नीतिगत शर्तों को निम्नानुसार संशोधित करती है:

आईटीसी (एचस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
71069110	ग्रेन्स	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है। एयू शर्त के साथ लाइसेन्स के मद्दे	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा—अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम

6434 GI/2023 (1)

			रिफाइनरियों द्वारा सिल्वर डोरे का आयात किया जा सकता है।	से आयात के लिए आईएफएससीए द्वारा यथा—अधिसूचित अर्हताप्राप्त ज्वेलर्स द्वारा आयात अनुमत है। एयू शर्त के साथ लाइसेन्स के मद्दे रिफाइनरियों द्वारा सिल्वर डोरे का आयात किया जा सकता है।
71069290	अन्य	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है।	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा—अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से आयात के लिए आईएफएससीए द्वारा यथा—अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा अनुमत है।

2. <u>अधिसूचना का प्रभावः</u> आरबीआई (बैंकों के मामले में) द्वारा यथा—अधिसूचित नामित एजेंसियों और डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा—अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) आईएफएससी लि. के माध्यम से ऊपर उल्लिखित विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोडों के तहत सिल्वर का आयात करने की अनुमित होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम 11/पीसी—2[क]/ई—1678] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2023

### No. 35/2023

Subject: Amendment in import policy condition of silver Covered under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS), 2022.

**S.O. 4423(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy conditions for silver under HS codes 71069110 and 71069290 of Chapter 71 of Schedule-1(Import Policy) of ITC HS, 2022 as under:

ITC (HS) code	Item Description	Policy	Existing policy condition	Revised policy condition
71069110	Grains	Restricted	through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies). Silver dore can be imported by refineries against	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International bullion Exchange (IIBX). Silver dore can be imported by refineries against a license with AU Condition.
71069290	Other	Restricted	through nominated agencies	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and by

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

1	banks) and	DGFT	(for o	ther	qualified	jewe	ellers a	as	notified	by	the
	agencies).				IFSCA	for	impor	rt	through	I	ndia
					International bullion Exchange (IIBX).						١.

2. **Effect of the notification:** In addition to nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and nominated agencies notified by DGFT, qualified jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) will be permitted to import Silver under above mentioned specific ITC(HS) codes through India International Bullion Exchange IFSC Ltd. (IIBX).

This issue with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No.01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/E-1678]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy